राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

सत्यमेव जयते

पत्रांक : 490 /रा.नि.आ.3/1419 /2013

दिनांक 27-04-2013

राज्य निर्वाचन आयोग

आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या–408/रा0नि0आ0–3/1419/2013 दिनांक 23.04.2013 के सन्दर्भ में, जो आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में प्रमुख सचिव, उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन एवं जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, देहरादून को प्रेषित किया गया था, के कम में उत्तराखण्ड शासन ने पत्र संख्या–790/VII–1/–सिडकुल/2013 दिनांक 24.04.2013 द्वारा प्रतिउत्तर प्रेषित किया है।

शासन से प्राप्त पत्र में स्पष्ट किया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण तहसील विकासनगर में छरबा ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत का है और ग्रामीण क्षेत्र में आचार संहिता प्रभावी नहीं है साथ ही यह भी अवगत कराया है कि मै0 हिन्दुस्तान कोकाकोला बैवरेज लिमिटेड (M/s HCCBL) द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2013 को दिये गये आवेदन के सापेक्ष उत्तराखण शासन/सिडकुल एवं मै0 हिन्दुस्तान कोकाकोला बैवरेज लिमिटेड (M/s HCCBL) के मध्य हुए अनुबन्ध के अनुसार ग्राम छरबा के निकट भविष्य में प्लांट लगाया जाना प्रस्तावित है और यह मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा का भाग नहीं है।

उक्त प्रकरण में दिये गये स्पष्टीकरण को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किये गये परीक्षणोपरान्त सन्तोषजनक पाते हुए प्रकरण को निक्षेपित किया जाता है।

27/4/13

(हरिश्चन्द्र जोशी)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्या– /रा0नि0आ0–3/1419/2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास, उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निकाय), देहरादून।

(एच0बी0थपलियाल)
सचिव।

निर्वाचन भवन, लाडपुर
मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड)

दूरभाष : 2673011, 2671671
टैलीफैक्स : 2671417